एचएन सेठ, सीजे और एमएस लिब्रहान, जे. *के समक्ष*

मातु राम और अन्य, -अपीलकर्ता

बनाम

केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़, -प्रतिवादी।

सिविल विविध. न० 97, 1987
पत्र पेटेंट अपील में संख्या1984 का 1123.

12 अक्टूबर 1987.

भूमि अधिग्रहण अधिनियम (I)1894 जैसा संशोधित, 1984 के अधिनियम 68 द्वारा–- धारा 23(1ए), 23(2), 28 एवं 30—सिविल प्रक्रिया संहिता (1908 का V)—धारा 152 और ओ. 47 आर. 1—आदेश का संशोधन -संशोधित धारा 23(1 ए), 23(2) एवं 28 का लाभ देने हेतु आवेदन दिया गया लेटर्स पेटेंट अपील में निर्णय के दो साल बाद - आवेदन - क्या यह निर्णय की समीक्षा के बराबर है और सीमा से वर्जित है - पुरस्कार से पहले दिया गया 30 अप्रैल, 1982 - धारा 23(1ए) के तहत दावा - क्या कायम रखने योग्य है - धारा 23 (2) और 28 के तहत लाभ के लिए दावा - उसके लिए आवेदन - क्या इसे एकल न्यायाधीश के फैसले में त्रुटि को सुधारने के लिए एक आवेदन के रूप में माना जा सकता है? संशोधित प्रावधानों का लाभ देना-आवेदक-क्या एसएस 23(2) और 28 के तहत बढ़े हुए लाभों के हकदार हैं-विलय का सिद्धांत-पत्र पेटेंट अपील की सारांश बर्खास्तगी-एकल पीठ का निर्णय-क्या अपीलीय पीठ के क्रम में विलय होता है।

अभिनिर्धारित किया गया कि जब दावेदारों ने एक आवेदन दायर किया है जिसमें न्यायालय से भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 23(2) और 28 के तहत लाभ देने की मांग की गई है, जैसा कि 1984 के अधिनियम 68 द्वारा

संशोधित है, तो उनके दावे को समीक्षा के लिए आवेदन नहीं माना जा सकता है। . नतीजतन, न्यायालय द्वारा अपने वैधानिक दायित्व का निर्वहन करने की मांग करने वाले आवेदन को केवल इसलिए परिसीमा द्वारा वर्जित नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसे फैसले की तारीख के 30 दिनों के भीतर समीक्षा के लिए आवेदन के रूप में दायर नहीं किया गया है।

(पैरा 9)

अभिनिर्धारित किया गया कि चूँकि इस मामले में पुरस्कार 30, अप्रैल 1982 से पहले दिया गया था, आवेदक 1984 के अधिनियम 68 द्वारा संशोधित भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 30 की सहायता के बिना अधिनियम की धारा 23(1ए) के तहत लाभ का दावा नहीं कर सकता है। संशोधित अधिनियम की धारा 30 एक सीमित पूर्वव्यापी प्रभाव देती है। धारा 23 की उप-धारा (1ए) का संचालन और पूर्वव्यापी रूप से केवल उन मामलों तक ही सीमित है जहां पुरस्कार दो कट ऑफ तिथियों के बीच दिया गया है, यानी। 30 अप्रैल, 1982 और 23 सितंबर, 1984। इसलिए यह मानना होगा कि आवेदक अधिनियम की धारा 23(1 ए) के तहत लाभ का दावा नहीं कर सकते।

(पैरा 10)

अभिनिर्धारित किया गया कि लेटर्स पेटेंट अपील की संक्षिप्त बर्खास्तगी के मद्देनजर मामला सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 की धारा 152 के दायरे से बाहर हो जाएगा।

(पैरा 12)

अभिनिर्धारित किया गया कि यदि न्यायालय ने आवेदकों द्वारा दायर पत्र पेटेंट अपील को खारिज करने में गलती की है, तो उस संबंध में त्रुटि को केवल निर्णय की समीक्षा के लिए एक आवेदन और वर्तमान आवेदन के माध्यम से ठीक किया जा सकता है, यदि इसे समीक्षा के लिए एक आवेदन के रूप में माना जाता है। 17 जनवरी 1985 का आदेश समय से बाधित होगा। चूंकि देरी को माफ करने के लिए परिसीमा अधिनियम की धारा .5 के तहत कोई आवेदन दायर नहीं किया

गया है, इसलिए आवेदन विचार योग्य नहीं होगा। हालाँकि, यह अदालत को इस आवेदन को विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले में त्रुटि को सुधारने के लिए एक आवेदन के रूप में मानने से नहीं रोकता है।

(पैरा 12).

अभिनिर्धारित किया गया कि जहां फैसले के खिलाफ अपील को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाता है, वहां यह नहीं कहा जा सकता कि फैसला अपीलीय पीठ द्वारा पारित आदेश में विलीन हो जाता है। विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को सही करने और 1984 के अधिनियम द्वारा संशोधित भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 23(2) और 28 का लाभ देने का तरीका में कोई बाधा नहीं है ।

(पैरा 13).

सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के 151 धारा के अंतर्गत आवेदन में प्रार्थना की गई है कि इस आवेदन को अनुमति दी जाए और डिवीजन बेंच द्वारा 17 जनवरी, 1985 को पारित आदेश को संशोधित किया जाए, जिससे बढ़ी हुई रियायत और ब्याज और अतिरिक्त मुआवजे का लाभ दिया जा सके। कोई अन्य आदेश जो उचित एवं उपयुक्त समझा जाए, भी पारित किया जा सकता है।

अपीलकर्ताओं के लिए वकील, गोविंद गोयल।

प्रतिवादियों की ओर से अशोक भान, वरिष्ठ अधिवक्ता, राकेश गर्ग, एके मितल, अधिवक्ता।

निर्णय

1. केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ ने सेक्टर 25, चंडीगढ़ की कुम्हार कॉलोनी के पीड़ितों के पुनर्वास के लिए 30 मई, 1980 को प्रकाशित अधिसूचना के माध्यम से केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के अंतर्गत दादू माजरा गांव में 8.58 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया। भूमि अधिग्रहण कलेक्टर ने दिनांक 11.07.2019 को पुरस्कार के माध्यम से निर्णय लिया। 23 जून, 1980 को रुपये की दर से मुआवजा दिया

गया। 33,000/- प्रति एकड़। भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 18 के तहत एक संदर्भ पर , जिला न्यायाधीश ने अपने आदेश दिनांक. 2 जून, 1983 को मुआवजा बढ़ाकर रु. 76,000/- प्रति एकड़। व्यथित होकर, कार्यकाल-धारकों ने इस न्यायालय के एकल न्यायाधीश के समक्ष अपील की, जो उनके दिनांक दिनांक के निर्णय द्वारा सुनाया गया। 27 अगस्त, 1984 को अपील की अनुमति दी गई और अर्जित संपत्ति का बाजार मूल्य रुपये की दर से निर्धारित किया गया। 80,000/- प्रति एकड़। उन्होंने आगे निर्देश दिया कि उन्हें कब्जा लेने की तारीख से उसके भुगतान तक 15 प्रतिशत की दर से सोलेशियम और 6 प्रतिशत की दर से ब्याज का भुगतान किया जाएगा।

2. तब किरायेदारों ने लेटर्स पेटेंट अपील दायर की जिसमें दावा किया गया कि संपत्ति का बाजार मूल्य बढ़ाकर रु। 1,00,000/- प्रति एकड़। हालाँकि, इस लेटर्स पेटेंट अपील को एक डिवीजन बेंच ने एक आदेश द्वारा खारिज कर दिया था। 17 जनवरी, 1985।

3. उक्त पत्र पेटेंट अपील के निर्णय के बाद, कार्यकाल धारकों में से एक अपीलकर्ता मातु राम की मृत्यु हो गई। यह आवेदन मातू राम के उत्तराधिकारियों एवं शेष अपीलार्थियों द्वारा प्रस्तुत किया गया है। उन्होंने प्रार्थना की कि 17 जनवरी, 1985 को डिवीजन बेंच द्वारा पारित आदेश को संशोधित किया जाए, जिससे 1984 के अधिनियम 68 द्वारा परिकल्पित बढ़ी हुई रियायत और ब्याज और अतिरिक्त मुआवजे का लाभ दिया जा सके। संक्षेप में, आवेदकों द्वारा की गई प्रार्थना यह है कि यह न्यायालय उन्हें 1984 के अधिनियम 68 द्वारा प्रस्तुत भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 23(1ए) के साथ-साथ 1984 के अधिनियम 68 द्वारा संशोधित धारा 23(2) और धारा 28 के लाभ प्रदान कर सकता है ।

4. प्रतिवादी की ओर से, एक प्रारंभिक आपत्ति उठाई गई है कि इस आवेदन में की गई प्रार्थना डिवीजन बेंच के फैसले की समीक्षा के बराबर है। 17 जनवरी, 1985, आवेदन जिसमें फैसले की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर दायर किया जा सकता है। वर्तमान आवेदन लगभग दो वर्षों के बाद दायर किया गया है और सीमा

से वर्जित है। देरी को माफ करने के लिए न तो कोई अनुरोध किया गया है और न ही सीमा अवधि से परे आवेदन प्रस्तुत करने के लिए कोई स्पष्टीकरण दिया गया है।

5. हमारी राय में, प्रतिवादी के विद्वान वकील द्वारा उठाई गई आपत्ति पर विचार करने से पहले, भूमि अधिग्रहण अधिनियम , 1894 में निहित प्रावधानों पर 1984 के अधिनियम 68 के प्रभाव की सराहना करना उचित होगा। धारा 23(2) , 1984 के अधिनियम 68 द्वारा इसके संशोधन से पहले, बशर्ते कि भूमि के बाजार मूल्य के अलावा, न्यायालय प्रत्येक मामले में अधिग्रहण की अनिवार्य प्रकृति को ध्यान में रखते हुए, ऐसे बाजार मूल्य का 15 प्रतिशत की राशि प्रदान करेगा। अधिनियम की धारा 28 में कहा गया है कि यदि वह राशि, जो न्यायालय की राय में, कलेक्टर को मुआवजे के रूप में दी जानी चाहिए थी, उस राशि से अधिक है, जो कलेक्टर ने मुआवजे के रूप में दी थी, तो न्यायालय का पुरस्कार निर्देशित कर सकता है कि कलेक्टर कब्जा लेने की तारीख से उसके भुगतान तक ऐसी अतिरिक्त राशि पर 6 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान करेगा। 1984 के भूमि अधिग्रहण (संशोधन) अधिनियम 68 में, अन्य बातों के साथ-साथ, धारा 23 में नई उप-धारा (1-ए) जोड़ी गई, जिसमें कहा गया कि भूमि के बाजार मूल्य के अलावा, न्यायालय हर मामले में एक पुरस्कार देगा। ऐसी भूमि के संबंध में, धारा 4 , उप-धारा (1) के तहत अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से शुरू होने वाली अवधि के लिए ऐसे बाजार मूल्य पर प्रति वर्ष 12 प्रतिशत की दर से गणना की गई राशि कलेक्टर का पुरस्कार या कब्ज़ा लेने की तारीख, जो भी पहले हो। धारा 23 की उप-धारा (2) में संशोधन किया गया ताकि अधिग्रहण की अनिवार्य प्रकृति (सोलेटियम) को ध्यान में रखते हुए राशि को 15 प्रतिशत से बढ़ाकर 30 प्रतिशत किया जा सके। इसी तरह, धारा 28 में प्रावधान है कि न्यायालय द्वारा दी गई अतिरिक्त राशि पर ब्याज की दर पहले वर्ष के लिए 6 प्रतिशत से बढ़ाकर 9 प्रतिशत और अगले वर्षों के लिए 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की जाएगी। 1984 के अधिनियम 68 की धारा 30 ने धारा 23 की उप-धारा (1ए) को शामिल करने और धारा 23 की उप-धारा (2) और

भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 28 में किए गए संशोधनों को पूर्वव्यापी संचालन दिया: -

"30 संक्रमणकालीन प्रावधान।-- (1) मूल अधिनियम की धारा 23 की उप-धारा (1ए) के प्रावधान, जैसा कि इस अधिनियम की धारा 15 के खंड (ए) द्वारा डाला गया है , लागू होंगे, और माने जाएंगे लागू, भी, के लिए और उसके संबंध में, -

(ए) मूल अधिनियम के तहत किसी भी भूमि के अधिग्रहण के लिए प्रत्येक कार्यवाही अप्रैल, 1982 के 30वें दिन (लोगों के सदन में भूमि अधिग्रहण (संशोधन) विधेयक, 1982 की शुरूआत की तारीख) पर लंबित है, जिसमें कोई नहीं उस तिथि से पहले कलेक्टर द्वारा पुरस्कार दिया गया हो;

(बी) मूल अधिनियम के तहत किसी भी भूमि के अधिग्रहण के लिए प्रत्येक कार्यवाही उस तारीख के बाद शुरू होती है, चाहे इस अधिनियम के शुरू होने की तारीख से पहले कलेक्टर द्वारा कोई पुरस्कार दिया गया हो या नहीं, (2) उप-धारा के प्रावधान (2) मुख्य अधिनियम की धारा 23 और धारा 28 , क्रमशः इस अधिनियम की धारा 15 और धारा 18 के खंड (बी) द्वारा संशोधित, लागू होंगी, और लागू मानी जाएंगी, साथ ही, और इसके संबंध में, 30 अप्रैल, 1982 (भूमि अधिग्रहण की शुरुआत की तारीख) के बाद मूल अधिनियम के प्रावधानों के तहत ऐसे किसी भी पुरस्कार के खिलाफ अपील में उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित किसी भी आदेश पर कलेक्टर या न्यायालय द्वारा दिया गया कोई भी पुरस्कार संशोधन) विधेयक, 1982, लोक सभा में) और इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले।

*   *   *   *   *   *

6. हम पहले भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 23 की संशोधित उपधारा (2) और धारा 28 के तहत लाभ के लिए आवेदकों के दावे से निपटेंगे।

7. भाग सिंह बनाम केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ , एआईआर 1985 एससी 1576 के मामले में , भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 4 के तहत अधिसूचना 19 अक्टूबर 1974 को जारी की गई थी। इस अधिसूचना के बाद धारा 6 और 9 के तहत अधिसूचनाएं जारी की गईं । भूमि अधिग्रहण कलेक्टर ने 9 अक्टूबर, 1975 को पुरस्कार दिया जिसे अंततः उच्च न्यायालय द्वारा अपील में बढ़ा दिया गया। उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि दावेदार मुआवजे की बढ़ी हुई राशि पर 15 प्रतिशत की छूट के हकदार हैं। मामले को पत्र पेटेंट अपील में उठाया गया था, जिसका फैसला 8 दिसंबर, 1982 को हुआ था, जिसमें विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा दिए गए मुआवजे को रुपये से बढ़ा दिया गया था। 25,000/- प्रति एकड़ से रु. दूसरी बेल्ट के लिए 38,720/- प्रति एकड़। इसके बाद मामला उच्चतम न्यायालय के समक्ष अपील में उठाया गया, जिसमें संशोधन अधिनियम की धारा 30(2) में निहित प्रावधानों द्वारा दिए गए पूर्वव्यापी प्रभाव की सीमा के संबंध में विवाद उठाया गया था। अदालत के सामने समस्या यह थी कि क्या धारा 23(2) और धारा 28 के संशोधित प्रावधान केवल उन मामलों पर लागू होते हैं जहां 30 अप्रैल 1982 के बाद कलेक्टर या न्यायालय द्वारा पुरस्कार दिया गया था, या यह उन मामलों पर भी लागू होता है जहां एक पुरस्कार दिया गया था कलेक्टर या न्यायालय द्वारा 30 अप्रैल, 1982 से पहले किया गया हो सकता है, लेकिन अपील के माध्यम से कार्यवाही 30 अप्रैल, 1982 को उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय में लंबित थी और उस तारीख के बाद निपटा दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने, कमलजाम्मनियावरु बनाम विशेष भूमि अधिग्रहण अधिकारी, (1985) 1 एससीसी 582: (एआईआर 1985 एससी 576) और 1979 राज्य की सिविल अपील संख्या 3267 के मामलों में उस न्यायालय में प्रचलित न्यायिक राय के टकराव को देखने के बाद पंजाब बनाम मोहिंदर सिंह । 1 मई 1985 को निर्णय लिया गया। अंततः इस प्रकार निष्कर्ष निकाला गया:---

"इसलिए, यह स्पष्ट है कि धारा 30 , उप-धारा (2) के तहत संशोधित धारा 23 , उप-धारा (2) और धारा 28 के प्रावधान 30 अप्रैल, 1982 को लंबित मुआवजे से संबंधित सभी कार्यवाहियों पर लागू होते हैं। या उस तारीख के बाद दायर किया

गया हो, चाहे कलेक्टर के समक्ष या न्यायालय या उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष, भले ही वे अंततः संशोधन अधिनियम के लागू होने से पहले समाप्त हो गए हों। यह धारा 30 की सही व्याख्या नहीं होगी । -धारा (2) में कहा गया है कि संशोधित धारा 23 , उपधारा (2) और धारा 28 के प्रावधान उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित आदेश के संबंध में तभी लागू होंगे जब आदेश के खिलाफ अपील में पारित किया गया हो। 30 अप्रैल, 1982 और संशोधित अधिनियम के प्रारंभ के बीच कलेक्टर या न्यायालय द्वारा दिया गया एक पुरस्कार। भले ही एक पुरस्कार 30 अप्रैल, 1982 को या उससे पहले कलेक्टर या न्यायालय द्वारा दिया गया हो और ऐसे पुरस्कार के खिलाफ अपील उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित हो। न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में 30 अप्रैल, 1982 को या उस तिथि के बाद दायर की गई हो, संशोधित धारा 23 , उपधारा (2) और धारा 28 के प्रावधान उच्च द्वारा ऐसी अपील में पारित आदेश के संबंध में लागू होंगे।."

8. वर्तमान मामले में, भले ही पुरस्कार 30 अप्रैल, 1982 से पहले दिया गया हो, उस पुरस्कार के संबंध में नियमित पहली अपील 30 अप्रैल, 1982 के बाद उच्च न्यायालय के समक्ष दायर की गई थी और विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा निर्णय लिया गया था। 27 अगस्त, 1984, 1984 के भूमि अधिग्रहण (संशोधन) अधिनियम 68 के लागू होने से पहले (प्रवर्तन की तारीख 24 सितंबर, 1984 है)। धारा 30 की उप-धारा (2) में निहित प्रावधान इस आशय के हैं कि धारा 23 की उप-धारा (2) और भूमि अधिग्रहण अधिनियम की धारा 28 में संशोधन उच्च न्यायालय द्वारा तय की गई अपीलों के संबंध में लागू होगा। जिन तारीखों पर प्रावधानों में संशोधन के लिए विधेयक वर्ष 1982 में पेश किया गया था और 24 सितंबर, 1984 को लागू हुआ था, उसमें स्पष्ट रूप से एक निहितार्थ शामिल है कि ऐसे निर्णयों में संशोधन करना और उन्हें उनके अनुरूप लाना न्यायालय का कर्तव्य है। संशोधित अधिनियम के प्रावधान. विचार के लिए यह प्रश्न उठता है कि क्या न्यायालय पर अपने पहले के आदेश को संशोधित करने के लिए लगाए

गए ऐसे दायित्व को लागू करने के लिए किया गया आवेदन सिविल पीसी के आदेश 47, नियम 1 के दायरे में आता है या नहीं।

9. इसी तरह का प्रश्न राजा शत्रुनजीत बनाम मोहम्मद अजमत अजीम खान , एआईआर 1971 एससी 1474 के मामले में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष विचार के लिए आया था , जिसमें न्यायालय यूपी की धारा 4 के दायरे से चिंतित था। जमींदार ऋण न्यूनीकरण अधिनियम, 1952, जो इस प्रकार चला: --

"डिक्री पारित होने के बाद ऋण कम करने की शक्ति; (1) सिविल पीसी 1908 या किसी अन्य कानून में किसी भी बात के बावजूद, न्यायालय, जिसने एक डिक्री पारित की, जिस पर यह अधिनियम एक सुरक्षित ऋण से संबंधित लागू होता है, दोनों में से किसी एक के आवेदन पर डिक्री-धारक या निर्णय-देनदार, इसके बाद बताए अनुसार आगे बढ़ें,

(2) जहां गिरवी रखी गई संपत्ति (डिक्री के तहत चार्ज की गई संपत्ति में विशेष रूप से संपत्ति शामिल है और ऐसी संपत्ति यूपी जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1950 के प्रावधानों के तहत अर्जित की गई है)

(3) जहां गिरवी रखी गई संपत्ति (डिक्री के तहत चार्ज की गई) में आंशिक रूप से संपत्ति और आंशिक रूप से संपत्ति के अलावा अन्य संपत्ति शामिल है, वहां न्यायालय -

न्यायालय ने धारा 4 की व्याख्या पहले से किए गए कुछ निर्णयों में संशोधन करने के लिए न्यायालय को शक्ति प्रदान करने के रूप में की और माना कि शक्ति के ऐसे प्रयोग को समीक्षा के रूप में वर्णित नहीं किया जा सकता है और इसका स्वतंत्र रूप से प्रयोग किया जा सकता है। यह स्पष्ट होगा - इसके द्वारा की गई निम्नलिखित टिप्पणियों से फैसले के पैरा 13 में:--

"अपीलकर्ता के वकील ने प्रस्तुत किया कि जब उच्च न्यायालय ने मामले का फैसला किया, तो उच्च न्यायालय ने कानून को उसी रूप में लागू किया जैसा वह था और कानून में बाद में बदलाव समीक्षा के लिए आधार नहीं हो सकता है। वर्तमान मामले में अपीलकर्ता का तर्क दो प्रमुखों के लिए स्वीकार्य नहीं है। कारण; पहला, यह कोई बाद का कानून नहीं है। यह वह कानून है जो 1962 से अस्तित्व में है। यह प्रावधान 25 मई, 1953 से पूरी तरह से प्रभावी और क्रियाशील है, जब 1952 का अधिनियम लागू हुआ। इसका परिणाम यह है कि न्यायालय को कानूनी प्रावधान लागू करना है जैसा कि वह हमेशा से था। इसलिए, यह रिकॉर्ड के चेहरे पर त्रुटि होगी। त्रुटि यह होगी कि जो कानून लागू किया गया था वह वह कानून नहीं है जो लागू होता है। दूसरे, धारा 4 1952 अधिनियम सिविल पीसी में निहित किसी भी प्रावधान के बावजूद कानून को लागू करने के लिए अदालत को शक्ति प्रदान करता है, इसलिए, हालांकि समीक्षा के लिए आवेदन शुरू किया गया था, ऐसा नहीं था। आवेदन का सार और रूप निर्णायक नहीं होगा।''

इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि जब आवेदकों ने अदालत से अनुरोध किया है कि वह उन्हें 1984 के अधिनियम 68 द्वारा संशोधित मूल अधिनियम की धारा 23(2) और धारा 28 के तहत लाभ देकर अपने दायित्व का निर्वहन करे। , उनके आवेदन को समीक्षा के लिए आवेदन नहीं कहा जा सकता। जैसा कि पहले ही कहा जा चुका है, धारा 30 की उपधारा (2) का स्पष्ट अर्थ है कि धारा 23 की उपधारा (2) और संशोधित धारा 28 का लाभ न्यायालय द्वारा उन अपीलों में भी दिया जाना है, जिनका निर्णय उसके द्वारा बाद में किया गया था। 30 अप्रैल, 1982, और 1984 के अधिनियम 68 के लागू होने से पहले (प्रवर्तन की तारीख 24 सितंबर, 1984 है)। अनुभाग ने इस प्रयोजन के लिए कोई समय-सीमा तय नहीं की है। इन परिस्थितियों में, न्यायालय से अपने वैधानिक दायित्व का निर्वहन करने की मांग करने वाले आवेदन को केवल इसलिए परिसीमा द्वारा वर्जित नहीं कहा जा सकता क्योंकि इसे फैसले की तारीख के 30 दिनों के भीतर समीक्षा के लिए आवेदन के रूप में दायर नहीं किया गया है।

10 . अब धारा 23 (1 ए) के तहत लाभ के लिए आवेदकों के दावे की बात करें तो हम पाते हैं कि यह संशोधित धारा 23 (1 ए) 24 सितंबर, 1984 से 1984 के संशोधन अधिनियम 68 द्वारा पेश की गई थी I यह धारा, अपने आप में, उस समय लागू नहीं हो सकी जब विद्वान एकल न्यायाधीश ने 27 अगस्त 1984 को अपील का फैसला किया। संशोधन अधिनियम की धारा 30 ने धारा 23 की उप-धारा (1ए) को एक सीमित पूर्वव्यापी संचालन दिया और, जैसा कि पंजाब राज्य बनाम कृष्ण लाल, सीएम नंबर में इस न्यायालय की पूर्ण पीठ द्वारा आयोजित किया गया था I 1982 के एलपीए संख्या 773 में 1986 का 1001, 4 मई 1987 को निर्णय लिया गया, (एआईआर पुंज और हर 222 में रिपोर्ट किया गया), पूर्वव्यापीता केवल उन मामलों तक ही सीमित है जहां पुरस्कार दो कट ऑफ तिथियों के बीच दिया गया था, अर्थात, 30 अप्रैल, 1982 और 24 सितंबर, 1984। चूंकि इस मामले में पुरस्कार पहले दिया गया था, आवेदक 1984 के अधिनियम 68 की धारा 30 की सहायता के बिना धारा 23(1ए) के तहत लाभ का दावा नहीं कर सकते।

11. आवेदकों के विद्वान वकील ने आगे आग्रह किया कि चूँकि पत्र पेटेंट अपील का निर्णय इस न्यायालय द्वारा 17 जनवरी, 1985 को किया गया था, अपील उस तारीख तक लंबित मानी जाएगी और धारा 23(1ए) के प्रावधान लागू होंगे। अपने बल द्वारा अपीलीय कार्यवाही पर लागू होता है। हमने पाया कि 27 अगस्त 1984 के विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ निर्देशित पत्र पेटेंट अपील को एक पंक्ति के आदेश द्वारा सरसरी तौर पर खारिज कर दिया गया था जो इस प्रकार था: -

"हस्तक्षेप का कोई आधार नहीं बनता। खारिज।"

12. इन परिस्थितियों में, यह नहीं कहा जा सकता है कि उक्त आदेश पारित करते समय न्यायालय ने कुछ ऐसा करना छोड़ दिया जो वह करना चाहता था या उसने कुछ ऐसा किया जो वह नहीं करना चाहता था और इस संबंध में यह चूक कुछ कारणों से हुई थी। लिपिकीय या अंकगणितीय गलती. इसलिए, मामला सिविल पीसी की धारा 152 के दायरे से बाहर होगा। यदि न्यायालय ने आवेदकों

द्वारा दायर पत्र पेटेंट अपील को खारिज करने में गलती की है, तो उस संबंध में त्रुटि को केवल निर्णय की समीक्षा के लिए एक आवेदन और वर्तमान आवेदन के माध्यम से ठीक किया जा सकता है, यदि इसे आदेश की समीक्षा के लिए एक आवेदन के रूप में माना जाता है। दिनांक 17 जनवरी, 1985, समय से वर्जित होगा। चूंकि देरी को माफ करने के लिए परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत कोई आवेदन दायर नहीं किया गया है, इसलिए आवेदन विचार योग्य नहीं होगा। हालाँकि, यह हमें इस आवेदन को 27 अगस्त, 1984 के विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले में त्रुटि को सुधारने के लिए एक आवेदन के रूप में मानने से नहीं रोकता है, और हम इसे तदनुसार मानते हैं।

13. यह सुझाव दिया गया था कि पत्र पेटेंट अपील में पारित दिनांक 17 जनवरी 1985 के आदेश के मद्देनजर विद्वान एकल न्यायाधीश के दिनांक 17 अगस्त 1984 के निर्णय को पत्र पेटेंट अपील के निर्णय में विलय कर दिया गया है, और ऐसे में, 27 अगस्त 1984 के फैसले में संशोधन या सुधार का कोई सवाल ही नहीं उठता। हमारी राय में, जहां किसी फैसले के खिलाफ अपील को सरसरी तौर पर खारिज कर दिया जाता है, वहां यह नहीं कहा जा सकता कि फैसला अपीलीय पीठ द्वारा पारित आदेश में विलीन हो जाता है। मामले के इस दृष्टिकोण में, हम 27 अगस्त 1984 के विद्वान एकल न्यायाधीश के फैसले को सही करने में अपने रास्ते में कोई बाधा नहीं देखते हैं।

14. परिणाम में, यह एप्लिकेशन सफल होता है और अनुमति दी जाती है। विद्वान एकल न्यायाधीश के 27 अगस्त 1984 के फैसले को इस हद तक संशोधित किया गया है कि उनके द्वारा निर्धारित मुआवजे की बढ़ी हुई राशि पर, आवेदक संशोधित धारा 23 के तहत 15 प्रतिशत के बजाय 30 प्रतिशत के हकदार होंगे। भूमि अधिग्रहण अधिनियम की संशोधित धारा 28 (2) के अनुसार अतिरिक्त साथ ही एक वर्ष के लिए 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से और उसके बाद भूमि पर कब्जा लेने की तिथि से भुगतान की तिथि तक 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज की गणना की जाएगी।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा

विनीत कुमार
प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी
झज्जर, हरियाणा